झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–955 वर्ष 2017

एन0के0 होता, पे0 स्वर्गीय गौरी शंकर होता, निवासी–हेन्सा होरी, स्टेडियम के पास, डाकघर और थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. गृह सचिव, झारखण्ड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, जगरनाथपुर, रांची।

3. सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, जगरनाथपुर, रांची।

4. उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां।

5. मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा बांध परियोजना, सरायकेला। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री आर0सी0पी0 साह, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिएः– ए0जी0 का जे0सी0

06/31.07.2018 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी अधिकारियों को उनके लगभग 39 लाख के पेशेवर बिलों का भुगतान करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, मामलों के संचालन के लिए और राज्य और जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधित्व न्यायालय में करने के लिए बकाया है।

राज्य के वकील प्रस्तुत करते हैं कि राज्य ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि केवल 8695/– रूपये की राशि बकाया है और याचिकाकर्ता 39 लाख रूपये की राशि का हकदार नहीं है जैसा कि उसने दावा किया है क्योंकि कथित दावे का कोई आधार नहीं है।

चूंकि याचिकाकर्ता के पेशेवर बिलों के दावे के संबंध में विवाद है और राज्य के अनुसार, कथित दावे का कोई आधार नहीं है और, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को केवल 8695/– रूपये की राशि देय है, मैं इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

हालांकि, यदि याचिकाकतार्इ कथित भुगतान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र है।

इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)